

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2711-SUNRISE INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, KURARI KALA, ACHALGANJ ROAD, UNNAO

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशांसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SUNRISE INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, KURARI
KALA, ACHALGANJ ROAD, UNNAO



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथमि/परिषद सम्बद्धता/2020/1671

लखनऊ: दिनांक: 15-0-2020

:- कार्यालय आदेश:-

अखिल भारतीय एकजीबी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली कॉन्वेंशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिय सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी सहायता योजना के अंतर्गत शिक्षण सहायता को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-0-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई सहायता को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित सहायता को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा वृद्धि संबंधित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सत्र-2 में विद्यार्थी इन इनके पाठ्यक्रम सहायता करने वाली पूर्व से सम्बद्ध सहायता का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"सिद्धी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी इन इनके पाठ्यक्रम सहायता करने वाली विद्यार्थी सहायता सहायता, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध है, में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन सहायताओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन समिति नाम के समूह अंतर्गत पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र-2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपरान्त अंतर्गत प्रवेश अथवा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संख्या सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा
1	276	अनुमोदन सहायता योजना के अंतर्गत नई दिल्ली/कार्मेली कॉन्वेंशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिय सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने हेतु	विद्यार्थी इन इनके पाठ्यक्रम सहायता	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए०आई०सी०टी०ई०/ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, संशोधित विनियमकारी-2016 तथा अन्य लिखित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अंतर्गत पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के अंतर्गत पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों/प्रदेशों प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण करें लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा परिषदों तथा उ० प्र० सचिवों, संस्थाओं) का सम्बद्ध किया जाना विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(Handwritten Signature)

- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवलोकित छात्रों की ही प्रवेश विद्या जायेगी। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को बनना-संलग्न पर निहित सम्भावनाओं को अनुसंधान निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुख्य बना करना होगा।
- ✓ संस्था को ए.अ.आई.सी.पी.आई.0 / पी.सी.सी.आई.0 से आगेगी तथा हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/विद्यार्थी/अभिलिखित/हास्यनायको/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर द्वारा बनाये गये विद्यार्थी/विद्यार्थी/आदेशों, निर्देशों का पालन कर्त्व के लिये तैयार होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की प्रत्येक वही पी.सी.आई. आई विद्यार्थी से अनुसंधान प्राप्त करने में आवश्यक होती है तो इस संस्था में सम्बन्धित प्रत्येक वही होगी और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई तरह का हस्तक किया जाय है तथा उत्तर राट के संस्था में या भाग्यनाय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही आदेश विनियत किया जाता है तो सम्बन्धित अधिपति सम्बन्धित संस्था को बननी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्यवाही प्रत्येक सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेगित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेगित प्रवेश देने के पूर्व पी.सी.आई.सी.पी.आई.0 से अनुसंधान प्राप्त कर परिषद कार्यवाही की उत्तरदायी करना होगा अथवा एवं प्रवेश की (कार्यवाही के सम्बन्ध से आगत संस्था उत्तर पर सीटों प्रवेश) अनुसंधान नहीं करने की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीनतम अस्वास्थ्य निर्णयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को सम्बन्धित उत्तर एवं संस्था की ऐतिहासिक सूचिभूति स्थापना, सजा-सम्बन्धित, सम्बन्धित प्राप्त किया जाने वाला मुख्य, अस्वास्थ्य मुख्य आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त सातत्यम् उपलब्ध करने को सजा शैलिंग रोकरने को सम्बन्धित में सफल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित प्रायश्चित्त की बलावे जाने हेतु निरीक्षण समिति को सम्बन्धित उपलब्ध कराने गये अनिलेख, सूचि-संगण, फोनीयर, उपलब्ध हस्तादि का यदि संस्था द्वारा कितने अन्य प्रायश्चित्त को सम्बन्धित में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग कितनी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तरदायी संस्था को सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अथवा सजा का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निर्णयानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

/
 (सम्बन्धित कुमार कर्मचारी)
 उचित/हस्त सजित

पृष्ठ-01-- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता / 2020 / 1922-3141

तारीख: 18-09-2020

प्रतिनिधि: सजा/सम्बद्धित/निदेशक, उत्तरदायी इस्टीमेट और अनुसंधानित/संशोधित/सजा के लिये, कोलार नगर, उत्तर प्रदेश, उत्तर

(सम्बन्धित कुमार कर्मचारी)
 सजित/हस्त सजित

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु विनमक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संश्लेषित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-2 में डिप्लोमा इन इजीए पाठ्यक्रम संश्लेषित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :-

“संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।”

इस निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएलटीआई/पीसीआइए द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2711	सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ इजीए टैक्नालॉजी पब सीनॉक्ट, कुशी इला अंचल गज राय, बनारस-200001	इलेक्ट्रिकल इजीए विथिन इजीए	60 60	60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईएलटीआई/एड द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1992 तथा अन्य विहित विनयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इलीए पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30-15000/- प्रतिवर्ष, दो-वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो-वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो-वर्षीय कार्मिकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०- 22,500.00 प्रतिवर्ष कुल ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बंध में संसद-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सासनवर्ष प्रस्तावों को, और उद्देशुत्तर कार्यवाही किया जाया आवश्यक होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु प्रीत का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रीत को उपरोक्तम दर्दे जायु, होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा एप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने) विनियमावली-2008 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश की ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश-आसम के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समक-समक पर निर्णय शास्त्रावली के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 09/04/2010/02/02 से आगामी तक हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश हासन द्वारा कराये गये विधि/निर्देश/अविवेक/शास्त्रावली/निर्देश एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा 2008, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2008 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2008 द्वारा कराये गये विधायी, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों को पारदर्शक की संस्थाएं यदि पोलीस/आई. आई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अधिक समय से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश हासन को कोई भार दायर किया जाता है तथा दायर होने के संबंध में मा-न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति लक्ष्मी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों को पारदर्शक संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित प्रवेश होने के पूर्व 01/01/2010 से अनुमोदन प्राप्त कर अधिक कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा प्रवेश की (आयोजित) के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोदी नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय निर्देशन आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थापना, संरचना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु परामर्शदाता तालावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रैक्टिस के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्राथमिक/सहायित्व पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने हेतु निर्देशक समितियों को संस्था उपलब्ध कराये गये अनिलेश मूले-भाग, कमीकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(श्रीजीत कुमार सिंह)
सचिव

पुं० सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2292

उद् दिनांक: 15-4-2019

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, उत्तर प्रदेश हासनीयूट बापू इन्ड्री
अध्यापक गेज टेंडर, उत्तरांच-206801

टेकनालोजी एंड नैनोटेक, पुरासी कला

(श्रीजीत कुमार सिंह)
सचिव